

## -विज्ञप्ति-

परिषद में 01.01.2021 से लागू नागरिक अधिकार पत्र में IS 15700:2018 (सेवोत्तम) के प्रस्तर 5.6.2 के अनुसार प्रस्तावित Review हेतु Working group for Citizen Charter में Customer प्रतिनिधि के रूप में आवासीय, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक भूखण्ड से सम्बन्धित आवंटियों में से (प्रत्येक से 02 लोगों के) चयन हेतु आवेदन दिनांक 13.04.2023 से 19.04.2023 की रात्रि 12.00 बजे तक email के माध्यम से आमंत्रित है -

1. ग्राहक सहभागिता हेतु इच्छुक व्यक्ति परिषद की प्रदेश स्थित किसी भी योजना का आवंटी हो।
2. विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर उसकी pdf प्रति संलग्न करते हुये sevottam@upavp.com के email पर प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगें।
3. प्रत्येक श्रेणी से 02 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त होने पर निर्णय लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं उसकी सूचना वेब-साइट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
4. Working group for Citizen Charter की बैठक में प्रतिभाग हेतु कोई यात्रा भत्ता/मानदेय देय नहीं होगा। उक्त बैठक एक से अधिक बार भी होना सम्भावित है।
5. नागरिक अधिकार पत्र के ड्राफ्ट में दिये गये सुझाव IS 15700:2005 (सेवोत्तम) एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुरूप ही होना चाहिए।
6. नागरिक अधिकार पत्र में निहित "उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011" से आच्छादित सेवाओं की समय सीमा एवं लोक शिकायत समाधान में कोई संशोधन नहीं किया जाना है।
7. नागरिक अधिकार पत्र की पूर्व में जारी प्रति परिषद वेबसाइट <https://upavp.in/> से प्राप्त की जा सकती है।